यह आप की मदद कर सकता है जब आप वोट (मत) देंगे।

पोलिंग अधिकारी से क्या कहें। वोटिंग टेबल पर अधिकारी को अपना पूरा नाम (पारिवारिक नाम तथा पहला नाम) और पता बताएं। अधिकारी मतदाता सूची में देखकर पता करेगा कि आपका नाम उसमें है और आप वोट दे सकते/ती हैं। यदि आप चाहें तो यह बातें एक काग़ज़ पर लिख/प्रिंट कर सकते हैं और टेबल पर मौजूद अधिकारी को इसे दे दें।

बैलट पेपर्स (मतदान पत्र)

तब अधिकारी आप को दो **(2) बैलट पेपर्स** देंगे। **एक छोटा बैलट पेपर लैजिसलेटिव एसेम्बली (विधान सभा)** (अपने ज़िले/डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि के लिए वोट देने के लिए) और **एक बड़ा बैलट पेपर लैजिसलेटिव काउंसिल (विधान परिषद)** (परिषद के 21 सदस्यों को चुनने के लिए वोट देने हेतु)।

बैलट पेपर्स को एक वोटिंग बूथ जोकि पोलिंग स्थल के अंदर में है ले कर जाएं जहां पर आप अपने मत को अकेले में निशान लगा सकते/ती हैं।

लैजिसलेटिव एसेम्बली (विधान सभा) के लिए मतदान (छोटा बैलट पेपर/मतदान पत्र)

बैलट पेपर पर अपनी पहली पसंद/वरीयता के उम्मीदवार के नाम के सामने वाले ख़ाने में “1” नंबर लिख कर निशान लगाएं जिसे आप अपना पहला वोट देने की इच्छा रखते/ती हैं। अगर आप चाहें तो और उम्मीदवारों के नाम के सामने के ख़ाने में अतिरिक्त मत बढ़ती संख्याओं में लिखकर जो कि “2” से प्रारंभ होती है को अन्य अतिरिक्त उम्मीदवारों के नाम के सामने के ख़ानों में उन के लिए अपनी पसंद के अनुसार लिख सकते/ती हैं।

लैजिसलेटिव काउंसिल (विधान परिषद) के लिए मतदान/वोटिंग (लम्बा बैलट पेपर)

जब आप लैजिसलेटिव काउंसिल (विधान परिषद) के लिए वोटिंग कर रहे हैं तो आप बैलट पेपर पर मोटी काली लाइन/रेखाके ऊपर **या** नीचे वोट दे सकते हैं।

मोटी काली लाइन/रेखा के ऊपर वोट देते हुए

अगर आप चाहें तो मोटी काली लाइन/रेखा के ऊपर आप वोट दे सकते हैं उन उम्मीदवारों के एक समूह के ख़ाने में “1” नंबर लिख कर जिन्हें आप वोट देना चाहते हैं। यदि आप चाहें तो आप वोट दे सकते हैं दूसरे अतिरिक्त उम्मीदवारों के समूह के सामने के ख़ानों में उनके लिए अपना चाहत के अनुसार अगले क्रमागत/लगातार संख्या को लिख कर जोकि “2” से प्रारंभ होती है ।

मोटी काली लाइन/रेखा के नीचे वोट देते हुए

आप मोटी काली लाइन/रेखा के नीचे “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, तथा “15” संख्याओं को 15 उम्मदीवारों के नाम के ख़ानों के सामने उनके लिए अपनी वरीयता/चाहत के अनुसार लिख कर वोट दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो अतिरिक्त उम्मीदवारों के लिए अपनी वरीयता के अनुसार उनके नाम के ख़ानों के सामने आप लगातार संख्याओं को जोकि “16” से प्रारंभ होती हैं लिख कर वोट दे सकते/ती हैं।

बैलट पेटी/बक्स

जब आप बैलट पेपर्स पर निशान लगाना समाप्त कर लें तो उन्हें मोड़ दें जिससे के वोट देखा ना जा सके और **बैलट पेपर्स को समुचित/सही बैलट पेटी में डालें जब आप पोलिंग स्थल को छोड़ रहे हों।**

आवश्यक/ज़रूरी

बैलट पेपर्स को मोड़ दें जिससे कि आपका वोट देखा न जा सके, मुड़े हुए बैलट पेपर्स को पोलिंग अधिकारी को दिखाएं और उसे समुचित/सही पेटी में डाल दें।

HINDI

अनुपस्थित/ग़ैरहाज़िर मतदान

यदि मतदान के दिन आप अपने मतदान शहर से बाहर हैं तब भी आप वोट दे सकते हैं। आप को केवल यह करना है कि आप उस टेबल पर जाएं जहां **'ABSENT' (एबसेंट)** का लेबल लगा हुआ है और अधिकारी को बताएं कि आप कहां रहते हैं। अधिकारी आपके नाम और पते का ब्योरा ले लेगा और इसे एक लिफ़ाफ़े पर लिखेगा जिस पर आप को हस्ताक्षर करना होता है। तब आप को बैलट पेपर्स दिए जाएंगे। इसे आप को वोटिंग बूथ (मतादन कक्षिका) में भरना होगा, मोड़ना होगा और पोलिंग अधिकारी को वापस करना होगा जो इसे लिफ़ाफ़े में रख कर बंद कर के मत पेटी में डाल देगा।

आपका नाम सूची में नहीं है

यदि आप का नाम सूची में नहीं है या पोलिंग अधिकारी की एक ग़लती से सूची में काट दिया गया है क्योंकि वोट पड़ चुका है फिर भी आप वोट देने के अधिकारी हैं और आप एक सेक्शन वोट (Section Vote) के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको एक लिफ़ाफ़ा दिया जायगा, जिसमें एक घोशणा है, जिसे अधिकारी आप के लिए भरेंगे और आप को हस्ताक्षर/दस्तख़त करने को कहेंगे। तब अधिकारी आपके हस्ताक्षर की गवाही करेंगे, अधिकारी लिफ़ाफ़ा अपने पास रख लेंगे और आपको बैलट पेपर्स देंगे। पूरा भरने के बाद बैलट पेपर्स को अधिकारी के पास वापस लाएं। अधिकारी मुड़े हुए बैलट पेपर्स को लिफ़ाफ़े में डालेगा, इसे बंद करेगा तथा मत पेटी में डाल देगा।

गुप्त वोट

किसी को यह जानने का अधिकार नहीं है कि आपने कैसे वोट दिया है। कुछ मतदाताओं को यह परेशानी होती है कि एक लिफ़ाफ़े में उनके बैलट पेपर्स रखने से जिस पर उन्हों ने हस्ताक्षर करना है, से किसी व्यक्ति को उनके वोट के बारे में पहचानना संभव हो जाएगा।

केवल रिटर्निंग आफ़िसर (मतगणना अधिकारी) या एक नियुक्त अधिकारी और मतपत्र निरीक्षकों की उपस्थिति में यह लिफ़ाफ़े खोले जायंगे। इन बैलट पेपर्स के साथ बर्ताव के लिए विशेष निर्देश दिए हुए हैं जिसमें उनका लिफ़ाफ़े से निकालना और तुरंत एक मत पेटी में रखना सम्मलित है।

विशेष सहायता

जो लोग निर्देश लिख या पढ़ नहीं सकते हैं, या जो एक विकलांगता रखते हैं अपने साथ एक मित्र या संबंधी को वोट में सहायता के लिए प्रबंध कर सकते हैं। वे एक पोलिंग अधिकारी से भी सहायता के लिए पूछ सकते हैं।

ख़राब हो गए बैलट पेपर्स

यदि, ग़लती से या दुर्घटना से आपका बैलट पेपर ख़राब हो गया है तो इसे फाड़ें नहीं या फैंक न दें, बल्कि इसे पोलिंग अधिकारी के पास बदलने के लिए वापस ले जाएं।

HINDI